मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 6-7/05/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक 8/2/05

प्रति,

1. आयुक्त,
हाथकरघा एवं हस्तशिल्प
म0प्र0 भोपाल.

2. प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम/म0प्र0 राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ, जबलपुर/म0प्र0 हाथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम, भोपाल/म0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल/म0प्र0 पावरलूम बुनकर सहकारी संघ, बुरहानपुर/म0प्र0 राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ भोपाल/म0प्र0 राज्य औद्योगिक सहकारी संघ, भोपाल .

विषय:- उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना का क्रियान्वयन-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादन इकाइयों के सम्बन्ध में ।

उद्योग संवर्धन नीति-2004 एवं कार्य योजना की कंडिका क्रमांक 4.1.5.12 निम्नानुसार है:-

" अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियों को वर्तमान व्यवस्था में पूरा लाभ न मिल पाने के कारण इस वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादक इकाइयों की शासकीय खरीदी कार्यक्रम में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी ।"

2/- मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम के नियम 14, 14 अ, 14 ब, 14 स, 14 द, एवं 14 इ, में शासकीय क्रय हेतु विभिन्न निगम/मण्डल/संस्थायें हेतु आयटम आरक्षित किये गये हैं । इन निगम/मण्डल/संस्थाओं द्वारा शासकीय क्रय हेतु आरक्षित आयटम शासकीय विभागों को प्रदाय किये जाते हैं ।

3/- राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादन इकाइयों की शासकीय खरीदी कार्यक्रम में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित

की जाय । अतः निर्देशित किया जाता है कि शासकीय खरीदी कार्यक्रम में न्यूनतम 30 प्रतिशत की खरीदी, वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादन इकाइयों से ही की जावें ताकि इसका पूरा लाभ इन वर्गों के उद्यमियों को प्राप्त हो सके ।

4/- उक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

विश्वपति त्रिवेदी

(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 8/12/05

पृ०क्र० एफ 6-7/05/अ-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन ग्रामोद्योग विभाग, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
5. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
6. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो, मध्यप्रदेश भोपाल
7. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वि. त्रिवेदी

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग